प्रेस नोट दिनांक 25.06.2026 जनपद फतेहपुर

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से भैंस चोरी की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 भैंस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण - पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक-25.06.2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 270/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त 1.हिमांशु पाल उर्फ शनी कब्बड़ पुत्र कृष्ण पाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी दुनदरखीपुर थाना हथगांव जनपद फतेहपुर, हालपता आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर 2.अभिलाष भारती उर्फ छोटू पुत्र विनोद भारती उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मुराइनटोला चौकी के सामने मोहल्ला मुराइनटोला थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर को स्थानीय लोगों के सहयोग से किया गया गिरफ्तार। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 भैंस बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमा में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1.हिमांशु पाल उर्फ शनी कब्बड़ पुत्र कृष्ण पाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी दुनदरखीपुर थाना हथगांव जनपद फतेहपुर, हालपता आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर,

2.अभिलाष भारती उर्फ छोटू पुत्र विनोद भारती उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मुराइनटोला चौकी के सामने मोहल्ला मुराइनटोला थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 राशि भैंस

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण 1. हिमांशु पाल उर्फ शनी कब्बड़ पुत्र कृष्ण पाल तथा 2. अभिलाष भारती उर्फ छोटू पुत्र विनोद भारती से नियमानुसार पूछताछ की गयी। पूछताछ के दौरान गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों ने बताया कि दिनांक 24.06.2026 को हम लोगों ने मिलकर नई बस्ती आबूनगर से एक भैंस चोरी की थी तथा पुन: भैंस चोरी करने के उद्देश्य से तुरावली का पुरवा में गए थे जहां लोगों ने हमें पकड़ लिया तथा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पकडे गए अभियुक्तों से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने नई बस्ती में की गई भैंस चोरी की घटना को स्वीकार किया। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में यह भी बताया गया कि उक्त घटना में उनके साथ निम्न व्यक्ति शामिल थे— 1. अल्तमश पुत्र मो0 इस्लाम उर्फ बबलू निवासी मो0 महाजरी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर, 2. अमन पुत्र अज्ञात निवासी पत्थरकटा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर तथा 3. अल्तमश का दोस्त (नाम, पता अज्ञात)। इन सभी ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री हेमन्त कुमार मिश्र थाना कोतवाली नगर,जनपद फतेहपुर

2.उ0नि0 सुमित नारायण

3.का0 तेजेन्द्र पाल सिंह

4.का0 हरेश कुमार